# अनूसचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) कानून–2006

# "वनाधिकार कानून 2006"

*अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन एवं सिटीजेंस फार जस्टिस एंड़ पीस द्वारा*

*कानून और सामुदायिक दावों को भरने के बारे में सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए*

*प्रशिक्षण मैनुअल*

# जनसंघर्ष की देन है वनाधिकार कानून

परिचय

- दशकों के लंबे जुझारू संघर्षों के बाद आख़िरकार सन् 2006 में वनाधिकार कानून पारित हुआ। सत्ता के दमन के चलते अनेकों बार वनाश्रित समुदायों पर हिंसक हमले भी हुए, हज़ारों लोगो की जानें गईं, लेकिन अन्य वनाश्रित और आदिवासी समुदाय मज़बूती से डटे रहे और अंततः उनकी ही जीत हुई और उनके वनाधिकारों को कानूनी मान्यता मिली। अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी कानून–2006 संसद में पारित हुआ और संविधान बनने के 56 साल बाद ही सही, सरकार ने वन निवासियों खासकर आदिवासी समुदायों पर दशकों से हुए ऐतिहासिक अन्यायों को स्वीकार किया।

- कानून समुदाय के व्यक्तिगत काश्त की भूमि, सामुदयिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन पर मालिकाना हक के कानूनी अधिकार को मान्यता देता हैं।
- यही नहीं, वनाधिकार अधिनियम–2006 वन भूमि पर ग्राम सभा के अधिकारों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। यहां तक कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी विभाग, प्रशासन, सरकार, न्यायालय को अधिकारों में फेरबदल करने की इजाजत नहीं होगी।
- वनाधिकार कानून जहां व्यक्तिगत तौर से वन भूमि पर मालिकाना हक और खेती करने के अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान करता हैं वहीं सामुदायिक अधिकारों के तहत ग्रामीणों (भूमिहीनों को भी) को वन संसाधनों के उपयोग का अधिकार, लघु वन संसाधन के संग्रहण और खरीद–बेच का हक प्रदान करता हैं।

# समुदायिक दावा का समुदाय के लिए अर्थ

- यह कानून ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है ग्राम सभा को सर्वोच्च मानता है। इसलिए ग्राम सभा को मजबूत करना सबसे पहला काम है।
- दावा पहला कदम है आपके पहचान और आधार का, बिना दावा किए कोई बातचीत शुरू नहीं होगी।
- समुदायिक दावा करने का मतलब कि अब हमारा हो गया किसी अफसर, सरकार, कोर्ट को आवेदन नहीं देना है। वनाधिकार कानून के तहत जो हमारे पूवर्जो का था उसका हमनें दावा किया है और उसपर अपना दख़ल कायम किया है।
- समुदायिक दावा संगठित हो कर ही किया जा सकता है इसलिए संगठन को मजबूत करना और सदस्यों के लिए दावा भरने की तैयारी करना जरूरी है।
- दावा पुर्नदखल कार्यक्रम है जिसके लिए संगठित होना जरूरी है बिना संगठन सामुदायिक दावों इस व्यवस्था में नहीं मिल पाएगें।
- दावा भरना बैक में खाता खोलने के फार्म भरने जैसा नहीं है यह दावा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब है अपने पूवर्जो का इतिहास को दर्ज करने की प्रकिया है।
- दावा के तहत हमारे तमाम जंगलों का हिसाब किताब रखने का नाम है, हमारे ग्रामसभा या टोला का जंगल का कितना क्षेत्र फल है, कितने पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ है, कितनी जड़ी बूटीयां हैं, कितने पशु पक्षी हैं, कितने जानवर हैं, वनभूमि कितनी है, कितने खेत हैं, कितने घर है, कितने कुए है, कितने तलाब है, नदी, पहाड़, झरने, पत्थर, चटटान, देव स्थल, मरघट, प्राचीन स्थल आदि है।
- दावे का मतलब है कि हम हमारे 500 साल का इतिहास दर्ज करेगें और 75 साल के प्रावधान को खारिज करेगें। इस आधार पर हम वनविभाग से उसके 500 साल का इतिहास की मांग करेगें।

# 2012 में वनाधिकार कानून में संशोधन किया गया जिसमें

- सामुदायिक वनसंसाधन का तीसरा फार्म "ग" जोड़ा गया और पूरे गांव के दायरे में जंगल पर दावा करने के प्रावधान जोड़ा गया।
- कानून को लागू करने की नोडल एजेंसी आदिवासी मंत्रालय ने यह आंकड़ा दिया कि सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आने वाल लघुवनोपज जैसे तेंदू पत्ता, शहद, लाख, बांस, आंवला आदि से मोटे तौर पर 50 हजार करोड़ का राजस्व पैदा होता है जिसे बिचौलिए जैसे वननिगम उससे जुड़े ठेकेदार और अन्य माफिया हड़प लेते हैं। इन लघुवनोपज पर पूरे अधिकार मिलने से वनाश्रित समुदाय की ग़रीबी दूर हो सकती हैं। और विकास कई क्षेत्रों से बेहतर हो सकता है।
- वनाधिकार समिति में महिलाओं की भागीदारी को एक तिहाई से बढ़ा कर आधा कर दिया गया है।
- वनाधिकार समिति को जंगलों के देखरेख, मेंनेजमेंट प्लान व संरक्षण के लिए समितियों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई हैं

# चरण 1

- ग्राम सभा को चिन्हित करना या निर्माण करना। ग्राम सभा ऐसे ग्राम होगें जो वनों पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं तथा यह ग्राम सभा गांव के सभी व्यस्क सदस्यों से मिलकर बनेगी। ऐसे सभी राजस्व ग्राम, वनग्राम, टांगीया वनग्राम, पाड़ा, टोला या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर ग्राम पंचायत नहीं है वहां ग्राम सभा बनाई जा सकती हैं। *धारा 2(छ)*
- ग्राम सभा के अधिवेशन में कोरम सभी सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति से होगी। *नियमावली धारा 4 (2)*

- ग्राम सभा का प्रस्ताव तैयार करना जिसमें ग्राम वनाधिकार समिति का गठन का प्रस्ताव लिया जाएगा। (ग्राम सभा के प्रस्ताव का प्रारूप अगली स्लाईड में दिया गया है। ) *नियमावली धारा 3 (1)*
- ग्राम वनाधिकार समिति में कम से कम 10 से 15 व्यक्तियों को निर्वाचित करना जिसमें महिलाओं की संख्या आधा होनी चाहिए, एक तिहाई सदस्य अनूसूचित जनजाति से व जहां अनूसूचित जनजातियां नहीं है वहां कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाए होगीं। *नियमावली धारा 3 (1)*

- ग्राम वनाधिकार समिति अध्यक्ष व सचिव का चुनाव करेगी व सभी सदस्यों के नाम प्रस्ताव में लिख कर उनके हस्ताक्षर व ग्राम सभा के हस्ताक्षर कर उप खंड़ स्तरीय समिति को सूचित करेगी। *नियमावली धारा 3 (2)*

# ग्रामसभा के गठन व ग्राम वनाधिकार समिति के गठन का प्रस्ताव का प्रारूप

- ग्राम स्तरीय समिति द्वारा इसी कानून के तहत वनोत्पाद और जड़ी बूटियों को संग्रह कर पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली को गांव में विकसित किया जायेगा साथ ही वनोत्पाद को बेचने व आर्थिक आय को बढ़ाने के लिए कानून की संशोधित नियमावली 2012 के तहत सहकारी समितियों का निमार्ण करेगी।
  जो कोई भी ग्राम सभा का सदस्य ए समिति का पदाधिकारी ए वनविभाग के कर्मचारी व अधिकारी या कोई अन्य इस कानून के विरूद्ध कार्य करेगा उसके खिलाफ कानून की धारा 7 के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

- कानून की धारा 7 के तहत "जहां कोई प्राधिकरण या समिति या ऐसे प्राधिकरण या समिति का कोई भी अधिकारी या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित बनाए बए किसी नियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो वह या वे इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी समझे जाएगें और अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा दंड़ित किए जाने की भागी होगें" वन विभाग द्वारा किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही जैसे भूमि से बेदखल करना, घरों को उजाड़ना, फसलों को जलाना व नष्ट करना, सामान लूटनाए फर्जी मुकदमें करनाए समुदाय के लोगों के साथ मारपीट करना व हत्या करने जैसे उत्पीड़न के खिलाफ भी यह ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति कार्य करेगी व वन विभाग को उत्पीड़न करने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी।

- ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के चुने हुए सदस्यों के नाम- यहां पर सभी चुने हुए सदस्यों के नाम और उनके हस्ताक्षर देने हैं। यहीं प्रस्ताव उपखंड़ स्तरीय समिति को भेज सकते हैं।

# ग्रामसभा के गठन व ग्राम वनाधिकार समिति के गठन का प्रस्ताव का प्रारूप

- वनाधिकार कानून 2006 के तहत .....वनप्रभाग ग्राम सभा का गठन व ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का आज दिनांक.....को हम समस्त ग्राम निवासी ग्रा.....तहसील.....जिला.....राज्य.....को संसद द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी ;वनाधिकारों को मान्यताद्ध अधिनियम 2006 के तहत अपनी ग्राम सभा का गठन कानून की नियमावली की धारा (3) के तहत ग्राम के सदस्यों की खुली बैठक में की । तथा इसी धारा के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का चयन किया गया है । इस कानून की धारा (2) (6) में "ग्राम सभा" से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है जो ग्राम के सभी व्यस्क सदस्यों से मिलकर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में जिनमें कोई ग्राम पंचायत नहीं पाड़ा टोला और ऐसी अन्य परम्परागत ग्राम संस्थाए और निर्वाचित ग्राम समिति चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो ।

- हमनें कानून के तहत में रहने वाले ग्राम सभा ....तमाम आधार पर ग्राम सभा का गठन किया गया है व ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का गठन किया गया है।

- यह ग्राम स्तरीय वनाधिकार समित सभी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन संसाधनों का सत्यापन करेगी व उपखंड़ स्तरीय समिति को दावों को सौंपेगी । दावे संबन्धित जितने भी दस्तावेज़ एवं प्रमाण होंगे उसे उपलब्ध कराने के लिए ग्राम वनधिकार समिति कार्य करेगी । यह समिति सामुदायिक वन संसाधन का नक्शा तैयार करेगी तथा वनों के व्यस्थापन व देख.रेख के लिए ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करेगी । वनोंए वन्यजनंतु एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए समिति ग्रामसभा् में कार्य करेगीए प्रशिक्षण लेगी व ग्राम सभा के सदस्यों को भी प्रशिक्षित करेगी।

# चरण 2

## ग्राम सभा/ग्राम वनाधिकार समिति के कार्य

- वनाधिकारों की प्रकृति और सीमा का अवधारण करने के लिए कार्यवाही शुरू करेगी और उनसे सम्बन्धित दावों की सुनवाई करेगी। *नियमावली धारा 4 (1) (क)*
- दावेदारों की सूची तैयार करेगी, दावेदारों के दावे के ब्यौरे का एक रजिस्टर रखेगी। *नियमावली धारा 4 (1) (ख)*
- सामुदायिक वन संसाधन का ब्यौरा तैयार करेगी, सामुदायिक जंगल व भूमि का नक्शा तैयार करेगी, गौण वन उत्पाद की सूची तैयार करेगी और उपखंड़ स्तरीय समिति को पूरी फाईल तैयार कर भेजेगी। *नियमावली धारा 4 (1) (ग)*

*नोट : सामुदायिक वन संसाधन से मतलब है किसी ग्राम की परम्परागत सीमाए जहां तक वन है और चरागाही समुदाय के लिए ऐसी भूमि और जंगल जो उनके मौसमी उपयोग में लाये जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभ्यारण और नेशनल पार्क भी शामिल होगें जहां पर समुदाय की परम्परागत की पहुंच थी। कानून धारा 2 (क)*

- ग्राम वनाधिकार समिति को राज्य के अधिकारीयों द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। *नियमावली धारा 4 (3)*

# चरण 3

*ग्राम सभा ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा दावे फाइल करने उनका अवधारण और सत्यापन करने की प्रक्रिया – नियामवली धारा 11*

- ग्राम सभा दावे स्वीकार करने के लिए वनाधिकार समिति को प्राधिकृत करेगी और दावे की मांग करेगी। *नि0 धारा 11 (1)(क)*
- समुदायिक वनसंसाधन के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई तारीख तय करेगी ओर नज़दीक की ग्राम सभाओं और उपखंड़ स्तरीय समिति को सूचित करेगी। *नि0 धारा 11 (1)(ख)*
- ग्राम वनाधिकार समिति ग्राम सभा को इन कार्यो में मदद करेगी *नि0 धारा 11 (2)*
- जैसे दावों के समर्थन में साक्ष्यों को प्राप्त करना, स्वीकृति देना और उन्हें रखना, दावों और साक्ष्य नक्शे के साथ अभिलेख तैयार करना, दावेदारों की सूची तैयार करना,दावों का सत्यापन करना, दावे के स्वरूप और विस्तार के संबंघ में अपने निष्कर्षो को ग्राम सभा के समक्ष उसके विचार के लिए प्रस्तुत करेगी और प्राप्त किए गए प्रत्येक दावों को ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा लिखित में अभिस्वीकृत किया जाएगा।
- ग्राम वनाधिकार समिति प्रारूप ख और ग में सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वनसंसाधन अधिकारों के लिए ग्राम सभा की ओर से दावे तैयार करेगी।
- ग्राम सभा के निष्कर्षो की प्राप्ति के बाद वनाधिकार समिति पूर्व सूचना पर बैठक करेगी, समुचित संकल्प पारित करेगी और उसे उपखंड़ स्तर समिति को भेजेगी।

# चरण 4

## ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा दावों को सत्यापन करने की प्रक्रिया – *नि0 धारा 12(1)*

- दावेदारों और वनविभाग को सामुदायिक दावों के स्थल निरिक्षण के लिए सूचित करेगी।
- यदि किसी दूसरे ग्राम की परंपरागत सीमाओं के साथ विरोध है या फिर किसी वनक्षेत्र का उपयोग एक से ज्यादा ग्राम सभा द्वारा किया जाता है तब समीप के ग्राम सभा को भी सयुक्त बैठक में आंमत्रित किया जाना और लिखित में निष्कर्ष प्रस्तुत करना। *नि0 धारा 12(3)*
- *नोट : दावों को अस्वीकृत या रीजेक्ट करने का अधिकार केवल ग्राम सभा को है इसमें वनविभाग, उपखंड़ समिति, जिला समिति किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकते।*

# चरण 5

वनाधिकारों के निर्धारण करने के लिए साक्ष्य (व्यक्तिगत एवं सामुदयिक दावों के लिए) –

*नि0 धारा 13*

- अंग्रेज़ी ज़माने का गजेटियर, जनगणना, सर्वेक्षण और बंदोबस्त रिपोर्ट, मानचित्र, उपग्रहीय चित्र, वनविभाग की वर्किंग प्लान यानि कार्य योजना, प्रबंध योजनाए, लघु योजनाए, वन जांच रिपोर्ट अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख, पटटा या लीज़ चाहे किसी नाम से हो, सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों की रिपोर्ट, सरकारी आदेश, अधिसूचानाए, परिपत्र, संकल्प जैसे लोक दस्तावेज़, सरकारी अभिलेख।
- मतदाता पहचान पत्र,राशन कार्ड, पासपोर्ट, गृहकार रसीदें,मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तवेज़ (केवल व्यक्गित अधिकारों के लिए, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कानून में कहीं नहीं लिखा गया है)
- अर्द्धन्यायिक या न्यायिक अभिलेख जिसके अंतर्गत न्यायालय आदेश, निर्णय, वनविभाग द्वारा दर्ज मुकदमों की प्रति, उसके प्रति निर्णय या आदेश ।
- तत्कालीन रजवाड़े या प्रातो या ऐसे अन्य प्राप्त कोई अभिलेख जिसके अतंर्गत नक्शे, अधिकारों के अभिलेख, विशेषाधिकार,रियायतें आदि।
- कुएं, कब्रिस्तान, पवित्र स्थल, देव स्थल, डीह, पुराने खंड़हर
- पूर्व भूमि अभिलेखों में दर्ज पुराने समय के गांव, बेचिरागी गांव के वेध निवासीयोंके रूप में पुरखों को पता लगाने वाली वंशावली।
- ग्राम सभा के बुजुर्गो के लेखबद्ध बयान

# चरण 6

## सामुदायिक दावों के लिए अन्य और साक्ष्य – *नि0 धारा 13 (2)*

- निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार चाहे किसी नाम से जाने जाते हो।
- परम्पागत चरागाह,जड़े और कंद, चारा, अन्य खाद्य फल और अन्य लघु वनोत्पाद जमा करने के क्षेत्र, मछली पकड़ने के स्थान, सिंचाई प्रणालियां, मानव व पशुधन के उपयोग में आने वाले जल के स्रोत, औषिधीय पौधों का संग्रहण।
- स्थानीय समुदायों द्वारा बनाई गई संरचानाओं के अवशेष, पवित्र वृक्ष, गुफाए, तालाब, नदी क्षेत्र, कब्रिस्तान या शमशानगृह।
- ग्राम सभा, उपखंड़ स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति, वनाधिकारों के निर्धारण करने के लिए उपर दिए गए एक से अधिक साक्ष्यों पर विचार करेगी।

# चरण 7

## उपखंड़ स्तरीय समिति के कार्य – *नि0 धारा 6*

- दावेदारों को दावों के फार्म प्रारूप 'क', ख और ग को आसानी और निशुल्क उपलब्ध कराएगी ।
- यह सुनिश्ति करेगी कि ग्राम सभा के अधिवेशन कोरम के साथ मुक्त, खुली और निश्पक्ष रीती से किया जाए।
- यह समिति ग्राम सभाओं को नाजुक पेड़ पौधों और जीव जन्तु को सुरक्षित और संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता, वन्यजीव, वन ओर जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में उनके कर्तवयों और वनाधिकारों के दावेदारों को कर्तव्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी।
- ग्राम सभा और वनाधिकार समिति को वन, राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी।
- आसपास के ग्रामसभा के सभी संकल्पों को एक साथ मिलाएगी।
- ग्राम सभाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों और ब्यौरों को समेकित करेगी।
- दावों की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं के प्रस्तावों और मानचित्रों का परीक्षण करेगी।
- ग्राम सभाओं के प्रस्तावो से व्यथित व्यक्तियों जिनके उपर राज्य द्वारा मुकदमें भी दर्ज हैं अर्जियों की सुनवाई भी करेगी।
- सरकारी अभिलेखों में सांमज्स्य करने के बाद प्रस्तावित वनाधिकारों को ब्लाक और तहसील वार प्रारूप अभिलेख तैयार करेगी।
- प्रस्तावित वनाधिकारों के प्रारूप अभिलेख के साथ दावों को उपखंड़ अधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय की समिति को अंतिम निर्णय के लिए भेजेगी।

# जिला स्तरीय समिति

*नि0 धारा 8*

- जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं। *नि0 धारा 8*
- यह समिति यह सुनिशचित करेगी कि सभी जानकारी ग्राम सभा व ग्राम वनाधिकार समिति को उपलब्ध कराई गई है।
- इस बारे में परीक्षण करेगी कि सभी दावों खासतौर पर आदिम जनजातीय समूह, पशु चारकों, या घुमन्तु जनजातियों के सभी दावों को कानून के उददेश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान किया गया है।
- उपखंड़ समिति द्वारा तैयार किए गए वनाधिकारों के दावों और अभिलेखों पर विचार कर अंतिम रूप देगी तथा वनाधिकारों और हक के अभिलेख की अधिप्रमाणित कापी सम्बद्ध दावेदार और ग्राम सभा को देगी तथा अभिलेख के प्राकशन राजस्व अभिलेखों में सुनिश्चित करेगी।
- उपखंड़ स्तर समिति से व्यथित व्यक्तियों या ग्राम सभा की अर्जियों की सुनवाई करेगी।

# राज्य स्तरीय निगरानी समिति – नि0 धारा 9

- राज्य निगरानी समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होगें।
- यह समिति राज्य में वनाधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके तहत होने वाली प्रक्रिया की निगरानी करेगी और इस सम्बन्ध में छह मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हर तीन माह में समिति की बैठक कर राज्य में वनाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करेगी।

# सामुदायिक फार्म 'ख' का प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और
अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
नियम, 2007
भारत सरकार,
जनजाति कार्य मंत्रालय

उपाबंध – 1
[ नियम 6 (झ) देखें]
प्रारूप – ख
सामूहिक वनाधिकारों के लिए दावा प्रारूप
[ नियम 11(1) क और (4) देखें]

1. दावेदार(रों) का/के नाम.....
   क. एफडीएसटी समुदाय : हां/नहीं.....
   ख. ओटीएफडी समुदाय : हां/नहीं.....
2. ग्राम .....
3. ग्राम पंचायत .....
4. तहसील/तालुका .....
5. जिला .....

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :–

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार यदि कोई हो: .....
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :.....
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार
   क. उपयोग या पात्रता (मछली या जलाशय), यदि कोई हो :.....
   ख. चरने हेतु, यदि कोई हों :.....
   ग. पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों:.....
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)
4. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक विधियां, यदि कोई हों:.....
   .
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव विविधता तथा बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हों.....
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हों :.....
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य :.....
   (नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :.....

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

# समुदायिक फार्म 'ग' का प्रारूप पेज 1

''प्रारूप–ग''

सामुदायिक वन संसाधन के लिए दावा प्रारूप

{अधिनियम की धारा 3(1)(i) और नियम 11(1) और (4क) देखिए}

1. ग्राम/ग्रामसभा :
2. ग्राम पंचायत :
3. तहसील/तालुका :
4. जिला :
5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित एसटी/ओटीएफडी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

   *दावा करने के लिए कुछ जनजातियों/अन्य परंपरागत वननिवासियों का होना पर्याप्त है।*

   हम, इस ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित निवासी यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।

   (अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चारागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित या परिरक्षित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृप्या ध्यान दें कि इसके लिए शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है)
6. खसरा/कंपार्टमेंट संख्या (संख्याऐं) यदि कोई हों और ज्ञात हों :
7. सीमा से लगते हुए ग्राम :

   **(i)**

   **(ii)**

   **(iii)**

(इसमें से किसी अन्य ग्राम के साथ संसाधनों का हिस्सा बंटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूचि (कृप्या नियम 13 देखिए) :

दावेदार(दावेदारों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान''

# समुदायिक फार्म 'ग' का प्रारूप पेज 2

''उपाबंध–4''

समुदायिक वन संसाधनों के लिए हक़

{नियम 8(i) देखिए}

1. ग्राम/ग्रामसभा :
2. ग्राम पंचायत :
3. तहसील/तालुका :
4. जिला :
5. अनुसूचित जाति/अन्य परंपरागत वननिवासी : अनुसूचित जनजाति समुदाय/ओटीएफडी समुदाय/ दोनों :
6. अधिकार का वर्णन और प्रकृति, जिसका समुदाय पारंपरिक रूप से संरक्षण या परिरक्षण करता रहा है :
7. सीमाओं का वर्णन जिसके अंतर्गत प्रमुख सीमा चिन्ह तक और खसरा/कंपार्टमेंट सं. तक रूढ़िजन्य सीमा भी है :

उक्त क्षेत्र के भीतर इस समुदाय को सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षा, पुनरुज्जीवित करने या परिक्षित करने या प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है और यह (नामोद्दिष्ट करें) समुदाय वन संसाधन, जिसका वे इस अधिनियम की धारा 3 (1)(i) के अनुसार संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षण या परिरक्षण करते रहे हैं।

हम, अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा, सरकार के लिए और उसकी ओर से ऊपर उल्लिखित ग्राम सभा(ग्राम सभाओं)/समुदाय (समुदायों) के लिए हक में यथावर्णित सामुदायिक वन संसाधन (सीमा, मात्रा, क्षेत्र, जो भी लागू हो, में नामोद्दिष्ट और विर्निष्ट किया जाए) की पुष्टि करने के लिए अपने–अपने हस्ताक्षर करते हैं।

(प्रभागीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक) (जिला जनजातीय अधिकारी)

(जिला कलक्टर/उपायुक्त)''

{ फा.सं. 23011/32/2010–एफआरए (जिल्द 2) }डॉ. साधना राउत, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.कि.नि. (अ) तारीख 1 जनवरी 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

# अधिकारों के उल्लघंन करने पर कानून में सज़ा के प्रावधान

- किसी भी प्राधिकारण या कमेटी का अफसर या सदस्य वनाधिकार 2006 व वनाधिकार अधि0 नियमावली 2008 का उल्लंघन करता है तो उसे वनाधिकार श्रकानून के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा, उसके खिलाफ जांच की जा सकती है और उसके खिलाफ एक हज़ार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। *कानून धारा 7*
- ग्राम सभा ऐसे प्राधिकरण, कमेटी या अफसर जो इस कानून का उल्लघंन करते है के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है और राज्य निगरानी समिति को भेज सकती है। अगर राज्य निगरानी समिति 60 दिन पर दोषीयों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है या जांच नहीं करती है तो कोई भी अदालत वनाधिकार कानून 2006 के तहत इन अपराधों को संज्ञान में ले सकती है ओर अपराधिक मुकदमें दर्ज कर सकती है। *कानून धारा 8*
- वनाधिकार कानून 2006 की धारा 8 के तहत नोटिस मिलने के बाद राज्य निगरानी समिति का यह दायित्व बनता है कि वह वनाधिकार कानून के तहत संबन्धित दोषी अधिकारीयों के खिलाफ कार्यवाही करें। *नियम 10 (घ)*

# समुदायिक वनसंसाधन के हक के लिए दावाकर्ताओं की सूची – नमूना दुधवा खीरी, उ0प्र

सामुदायिक वनसंसाधन के हक के लिए दावाकर्ताओं की सूचि

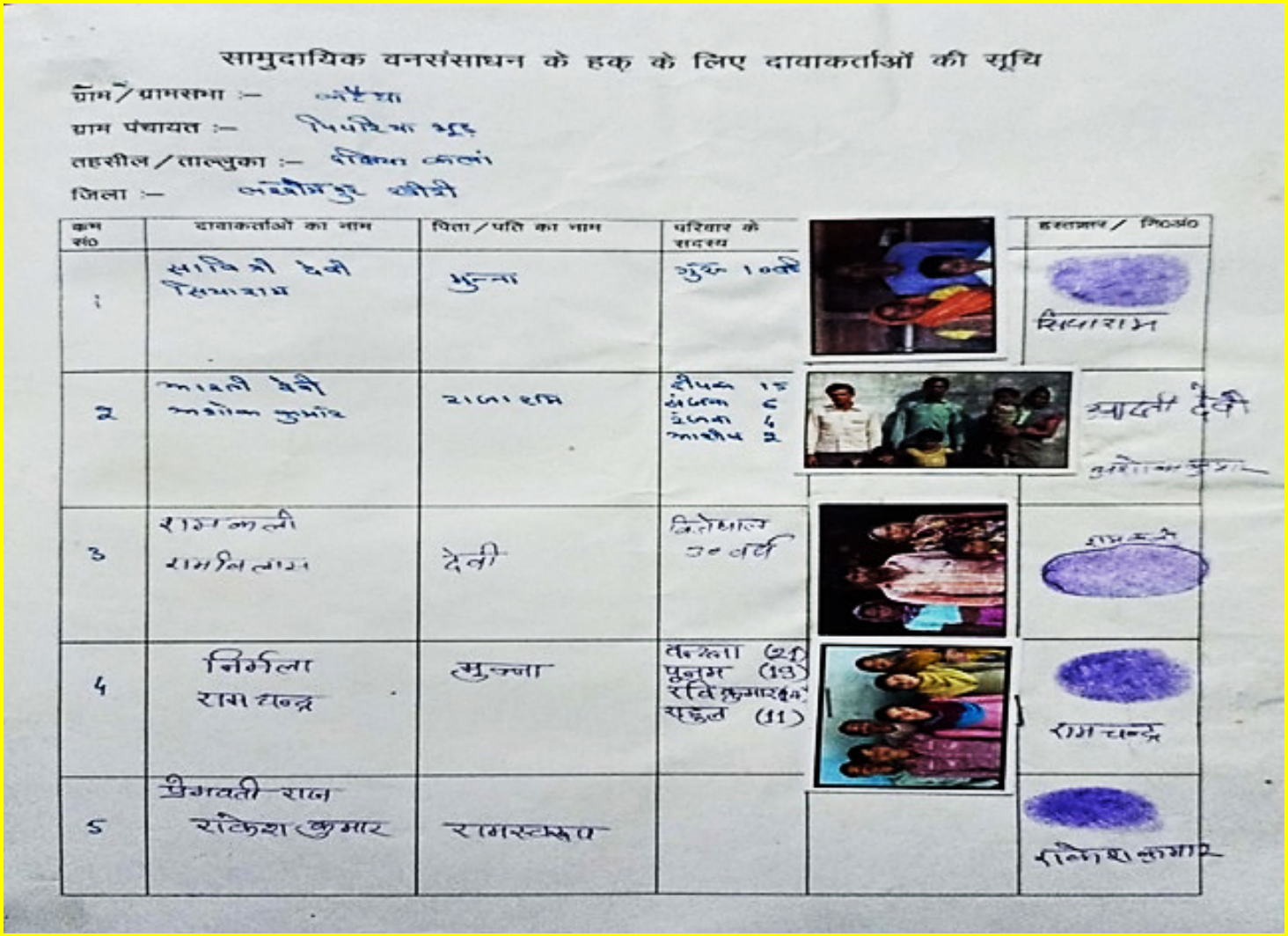

ग्राम/ग्रामसभा :— [illegible]

ग्राम पंचायत :— [illegible]

तहसील/तालुका :— [illegible]

जिला :— [illegible] खीरी

| क्रम सं0 | दावाकर्ताओं का नाम | पिता/पति का नाम | परिवार के सदस्य | | हस्ताक्षर/नि0अं0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सावित्री देवी<br>सियाराम | मुन्ना | [illegible] 10 [illegible] |   | सियाराम |
| 2 | [illegible] देवी<br>[illegible] कुमार | [illegible] | [illegible] 15<br>[illegible] 8<br>[illegible] 6<br>[illegible] 2 |   | [illegible] देवी<br>[illegible] |
| 3 | [illegible]<br>[illegible] | देवी | [illegible]<br>[illegible] वर्ष |   | [illegible] |
| 4 | निर्मला<br>राम चन्द्र | मुन्ना | [illegible] (21)<br>पुनम (13)<br>रवि कुमार [illegible]<br>[illegible] (11) |   | राम चन्द्र |
| 5 | [illegible]<br>रतिकेश कुमार | [illegible] | | | [illegible] कुमार |

# सामुदायिक अधिकारों की सूची सोनभद्र – नमूना

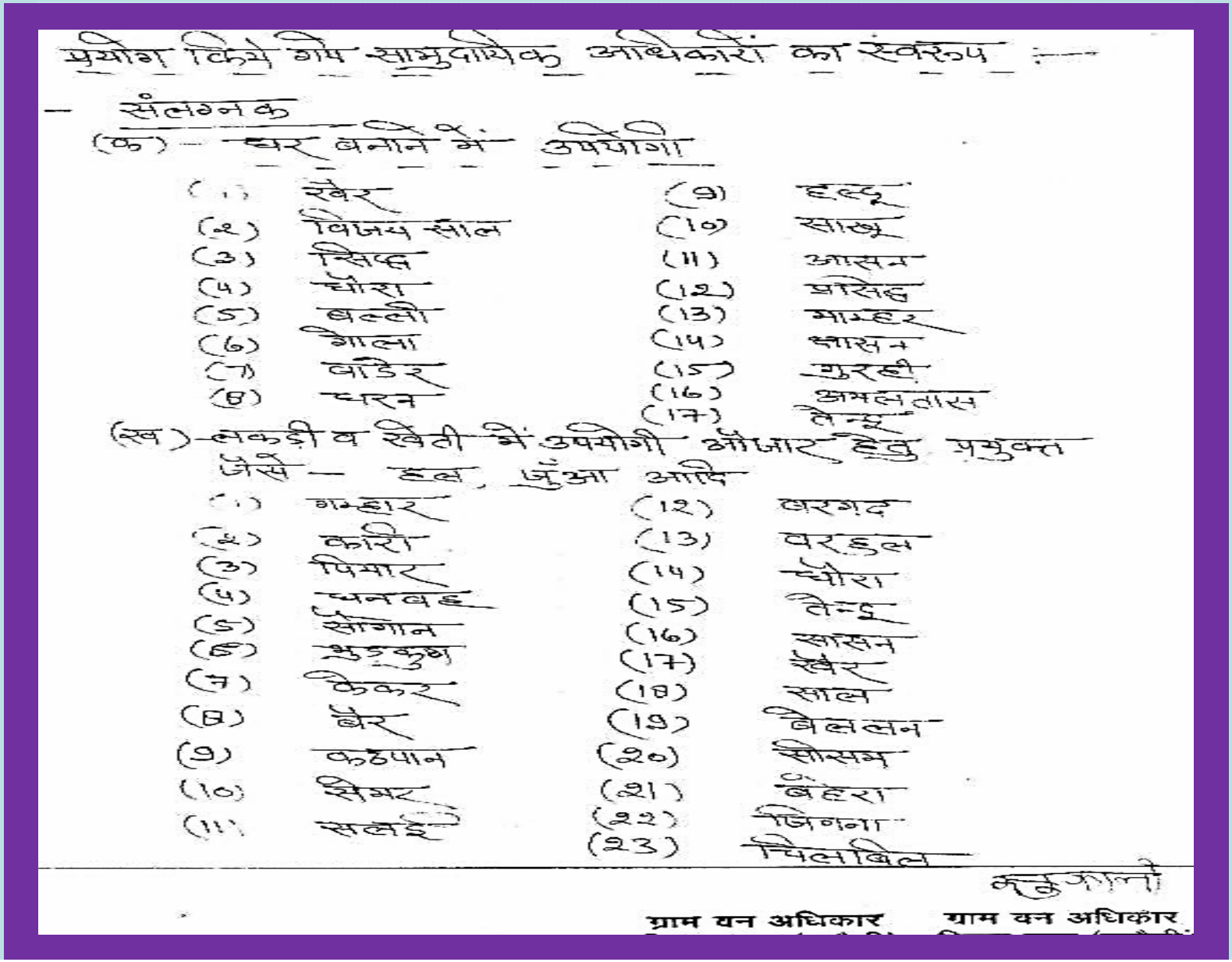

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :–

– संलग्नक

(क) – घर बनाने में उपयोगी

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | खैर | (9) | हल्दू |
| (2) | विजय साल | (10) | साखू |
| (3) | सिद्ध | (11) | आसन |
| (4) | चौरा | (12) | प्रसिद्ध |
| (5) | बल्ली | (13) | गम्हर |
| (6) | गोला | (14) | धासन |
| (7) | बाँडेर | (15) | गुरही |
| (8) | धरन | (16) | अमलतास |
| | | (17) | तेन्दू |

(ख) लकड़ी व खेती में उपयोगी औजार हेतु प्रयुक्त जैसे – हल, जुआ आदि

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | गम्हार | (12) | बरगद |
| (2) | कारी | (13) | परडल |
| (3) | पियार | (14) | चौरा |
| (4) | धनबहेड़ | (15) | तेन्दू |
| (5) | सागौन | (16) | सासन |
| (6) | भुड़कुम | (17) | खैर |
| (7) | केकर | (18) | साल |
| (8) | बेर | (19) | बेलसन |
| (9) | कठपान | (20) | सीसम |
| (10) | सेमर | (21) | बहेरा |
| (11) | सलई | (22) | जिगना |
| | | (23) | पिपरबिल |

ग्राम वन अधिकार ग्राम वन अधिकार

# समुदायिक अधिकारों की सूची सोनभद्र – नमूना

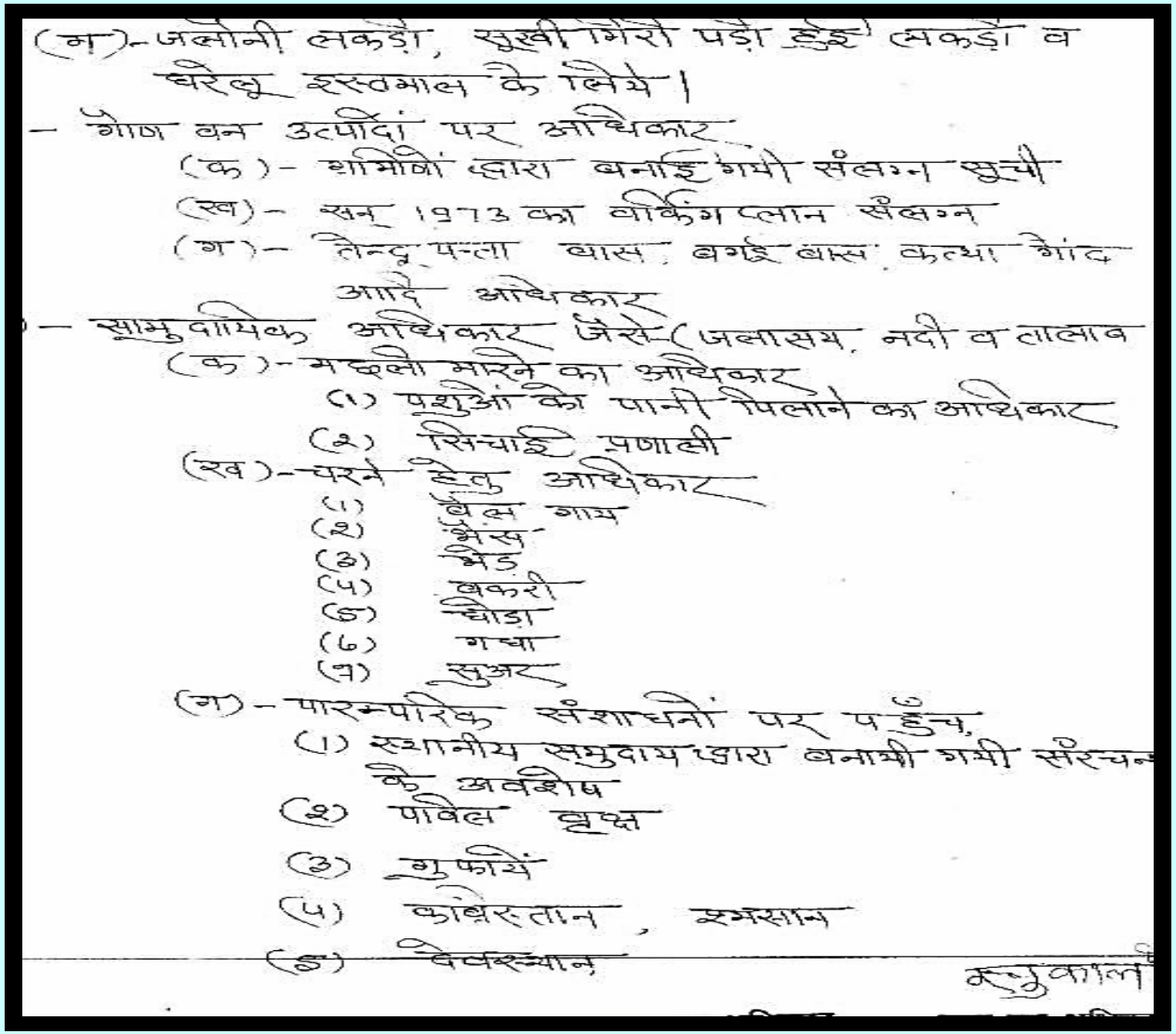

(ग)- जलौनी लकड़ी, सूखी गिरी पड़ी हुई लकड़ी व घरेलू इस्तमाल के लिये।

- गौण वन उत्पादों पर अधिकार
  - (क)- ग्रामीणों द्वारा बनाई गयी संलग्न सूची
  - (ख)- सन् 1973 का वर्किंग प्लान संलग्न
  - (ग)- तेन्दू पत्ता, घास, बगई घास, कत्था, गोंद आदि अधिकार
- सामुदायिक अधिकार जैसे (जलासय, नदी व तालाब
  - (क)- मछली मारने का अधिकार
    - (1) पशुओं को पानी पिलाने का अधिकार
    - (2) सिंचाई प्रणाली
  - (ख)- चरने हेतु अधिकार
    - (1) बैल गाय
    - (2) भैंस
    - (3) भेड़
    - (4) बकरी
    - (5) घोड़ा
    - (6) गधा
    - (7) सुअर
  - (ग)- पारम्परिक संसाधनों पर पहुँच,
    - (1) स्थानीय समुदाय द्वारा बनायी गयी संरचना के अवशेष
    - (2) पवित्र वृक्ष
    - (3) गुफायें
    - (4) कब्रिस्तान, श्मसान
    - (5) देवस्थान

[illegible]

# समुदायिक अधिकारों की सूची सोनभद्र – नमूना

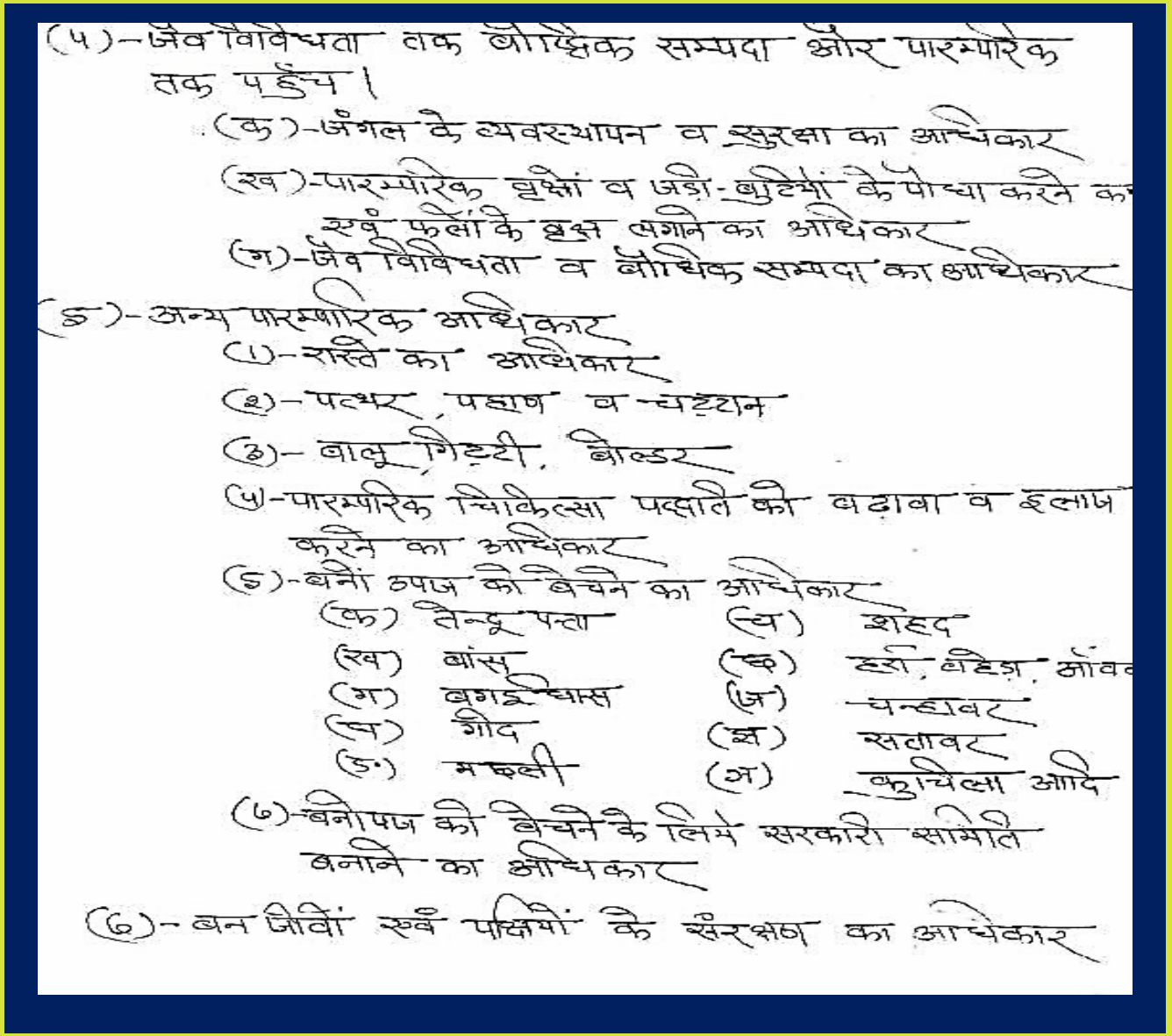

(५)-जैव विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारम्परिक तक पहुँच।

(क)-जंगल के व्यवस्थापन व सुरक्षा का अधिकार

(ख)-पारम्परिक वृक्षों व जड़ी-बुटियों के पौधा करने क… एवं फलों के वृक्ष लगाने का अधिकार

(ग)-जैव विविधता व बौद्धिक सम्पदा का अधिकार

(६)-अन्य पारम्परिक अधिकार

(१)-रास्ते का अधिकार

(२)-पत्थर, पहाण व चट्टान

(३)-बालू, गिट्टी, बोल्डर

(४)-पारम्परिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा व इलाज करने का अधिकार

(५)-वनों उपज को बेचने का अधिकार

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | तेन्दू पत्ता | (च) | शहद |
| (ख) | बांस | (छ) | हर्रा, बहेड़ा, आँवला… |
| (ग) | बगई घास | (ज) | चन्हावर |
| (घ) | गोंद | (झ) | सतावर |
| (ङ) | मछली | (ञ) | कुचिला आदि |

(६)-वनोपज को बेचने के लिये सरकारी समिति बनाने का अधिकार

(७)-वन जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण का अधिकार

# ग्राम धूमा सोनभद्र द्वारा तैयार नक्शा

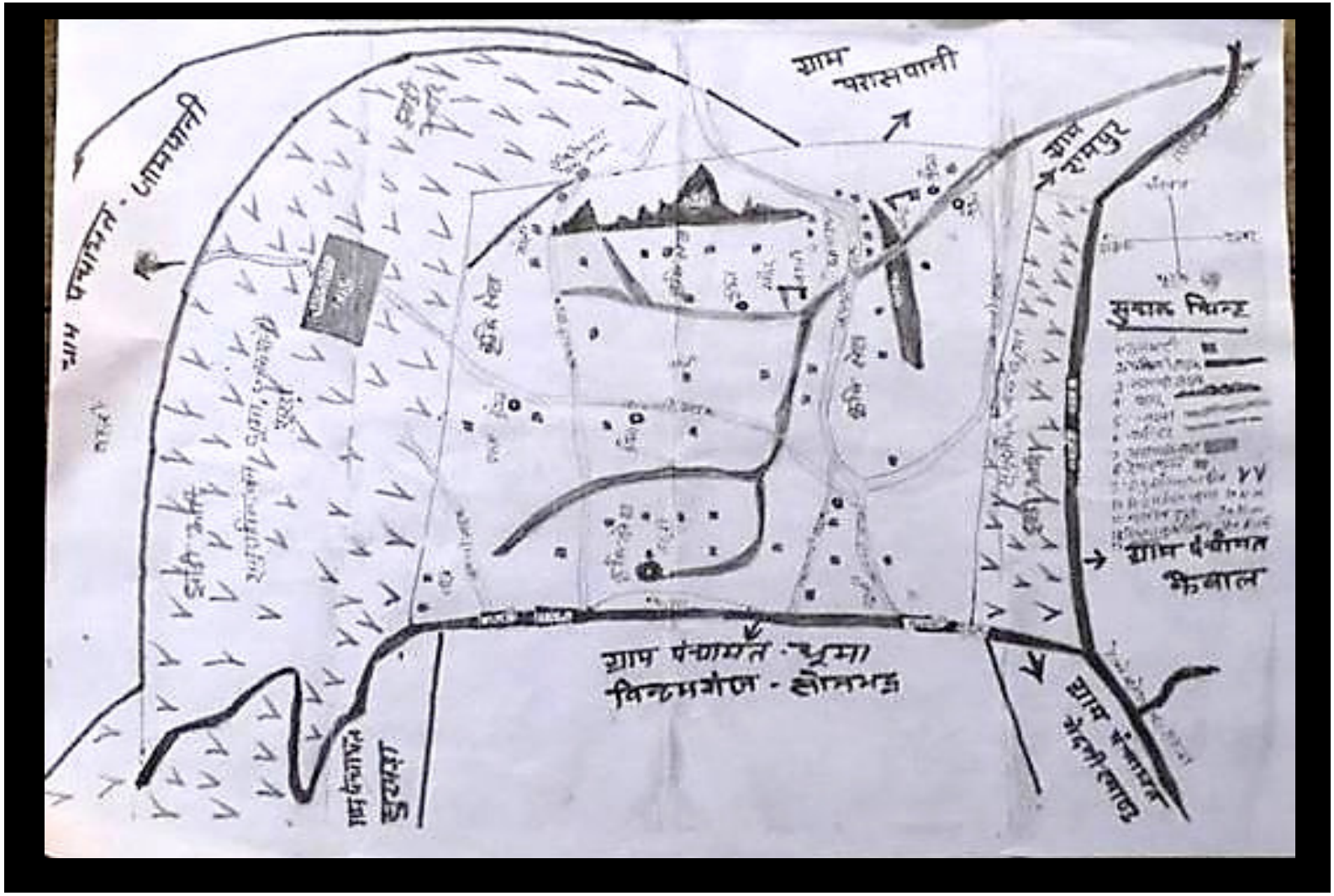

# ग्राम सोनगर सोनभद्र का नक्शा नमूना

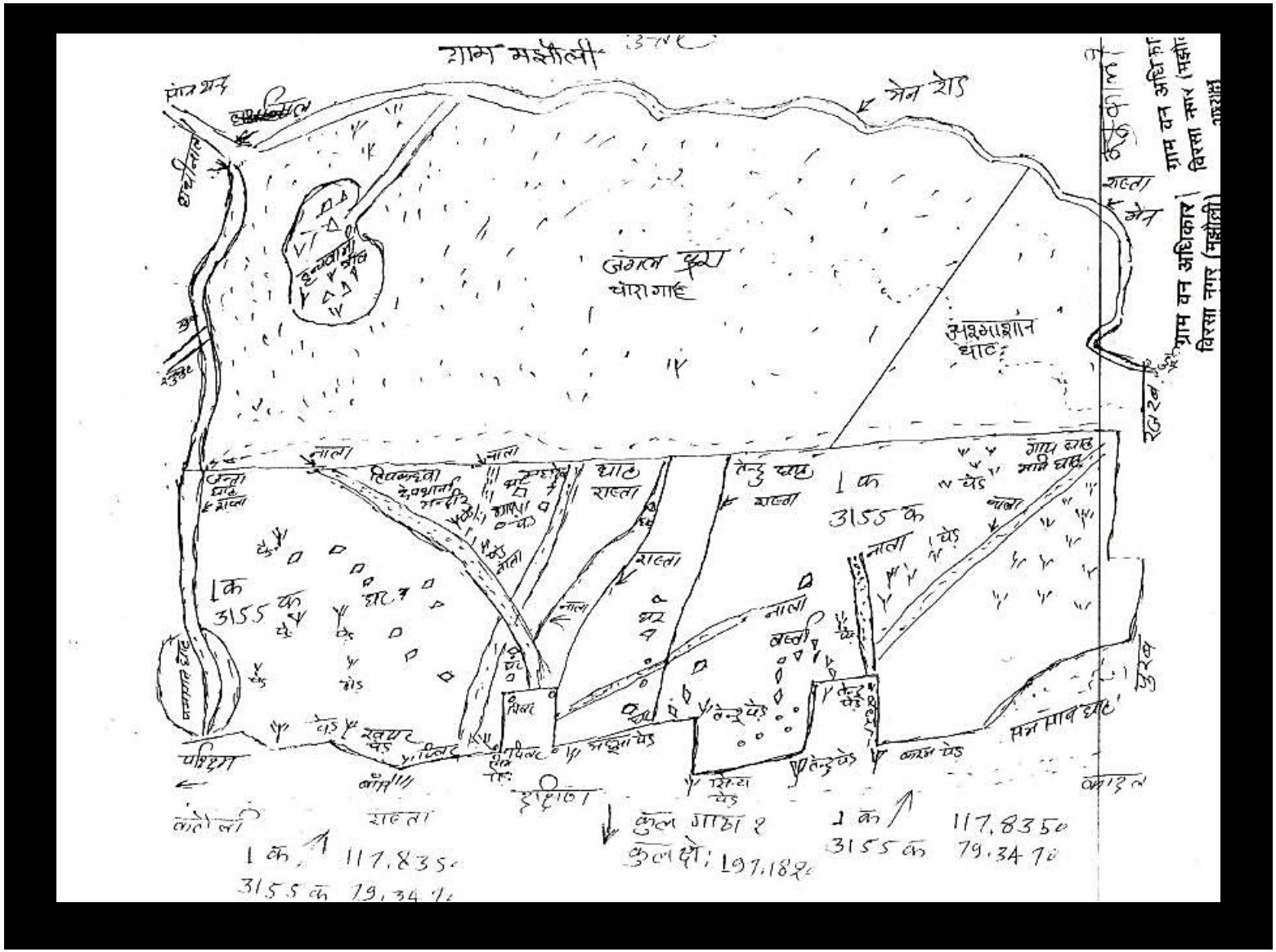

# दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उ0प्र0 में पाए जाने वाले लघु वनोपज की सूची – नमूना

ग्राम.....के वनक्षेत्र से प्राप्त होने वाले गौण वनोत्पादों की सूचि
दुधवा नेशनल पार्क वनक्षेत्र पलिया कलां–खीरी उ0प्र0

| क.सं. | गौण वनोत्पाद का नाम | उत्पाद के प्राप्त होने की अवधि | क.सं | गौण वनोत्पाद का नाम | उत्पाद के प्राप्त होने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पिंदारे | जून से फरवरी | 57 | जलौनी लकड़ी | बारह मास |
| 2 | हर्रा | जुलाई से अक्टूबर | 58 | घास–फूस | दिसम्बर से फरवरी |
| 3 | बहेड़ा | जुलाई से मार्च | 59 | सेठा खागर | दिसम्बर से फरवरी |
| 4 | सतावर | बारह मास | 60 | बांस बेंत | दिसम्बर से फरवरी |
| 5 | आंवला | जुलाई से फरवरी | 61 | धरती के फूल | जुलाई से सितम्बर |
| 6 | शिकाकाई | फरवरी से मार्च | 62 | कटरुआ | जून से जुलाई |
| 7 | वनमूली | बारह मास | 63 | कोरो | बारह मास |
| 8 | वनप्याज | बारह मास | 64 | बल्ली | जनवरी से मार्च |
| 9 | वनहल्दी | बारह मास | 65 | थम्भर | फरवरी से अप्रैल |
| 10 | गलकंदरा | बारह मास | 66 | मूज | सितम्बर से नवम्बर |
| 11 | लाल बरुआ | बारह मास | 67 | शोक | जुलाई से अक्टूबर |
| 12 | सफेद बरुआ | बारह मास | 68 | रंगोय(रंगिया की बेल) | बारह मास |
| 13 | काला बरुआ | बारह मास | 69 | बाम्बी की मिट्टी | बारह मास |
| 14 | निउरासन | बारह मास | 70 | चिकनी मिट्टी | बारह मास |
| 15 | लगुनी लगना | बारह मास | 71 | तालाब की मिट्टी | बारह मास |
| 16 | हाथी गज | बारह मास | 72 | नदी की रेत | बारह मास |
| 17 | साहनसर भेद | बारह मास | 73 | महुआ | जनवरी से अप्रैल |
| 18 | मैदा | बारह मास | 74 | वन रजवा | बारह मास |
| 19 | विजय साल | बारह मास | 75 | कामराज | बारह मास |
| 20 | दुधकुटरी | बारह मास | 76 | मछली | बारह मास |
| 21 | इन्द्राज | बारह मास | 77 | थूना–थम्भर | बारह मास |
| 22 | सर्प बबुरी | बारह मास | 78 | दुधवा नेशनल पार्क के वर्किंग प्लान 1983–84 से 1992–93 में उल्लिखित सभी पुराने अधिकार व सुविधाएं | |
| 23 | असीढ़ा | बारह मास | | | |
| 24 | बेंधू | जुलाई से फरवरी | | | |
| 25 | दूधीजड़ा | बारह मास | | | |
| 26 | अजाईन | बारह मास | | | |
| 27 | पथरी | बारह मास | | | |
| 28 | मासू पिन्डा | बारह मास | | | |
| 29 | ब्राह्मी | बारह मास | | | |
| 30 | भवीरी जड़ | बारह मास | | | |
| 31 | लट जीरा | बारह मास | | | |
| 32 | शिवलिंगी | बारह मास | | | |
| 33 | कोयल | बारह मास | | | |
| 34 | मीठी पाती | बारह मास | | | |
| 35 | कोसम | जून से अक्टूबर | | | |
| 36 | जामुन | जुलाई से अगस्त | | | |
| 37 | करौंदा | जुलाई से अगस्त | | | |
| 38 | गुलरी | फरवरी से मई | | | |
| 39 | फूरहुर | जून से सितम्बर | | | |
| 40 | शैठा | जून से सितम्बर | | | |
| 41 | बेल | फरवरी से अप्रैल | | | |
| 42 | तेन्दु पत्ता | फरवरी से अप्रैल | | | |
| 43 | खजूरी | बारह मास | | | |
| 44 | न्यूशी | बारह मास | | | |
| 45 | कनर | बारह मास | | | |
| 46 | छुहारों | बारह मास | | | |
| 47 | मदार | जून से मार्च | | | |
| 48 | सहोरो | बारह मास | | | |
| 49 | डैफर | जुलाई से अक्टूबर | | | |
| 50 | रोहणी रंग | जनवरी से अप्रैल | | | |
| 51 | पौन सजीवन | बारह मास | | | |
| 52 | बालम खीरा | बारह मास | | | |
| 53 | अमलतास | बारह मास | | | |
| 54 | दूब | बारह मास | | | |
| 55 | भदा | बारह मास | | | |
| 56 | शहद | अप्रैल से जून, अक्टू से दिस0 | | | |

# नमूना लघुवनोपज की सूची कैमूर क्षेत्र

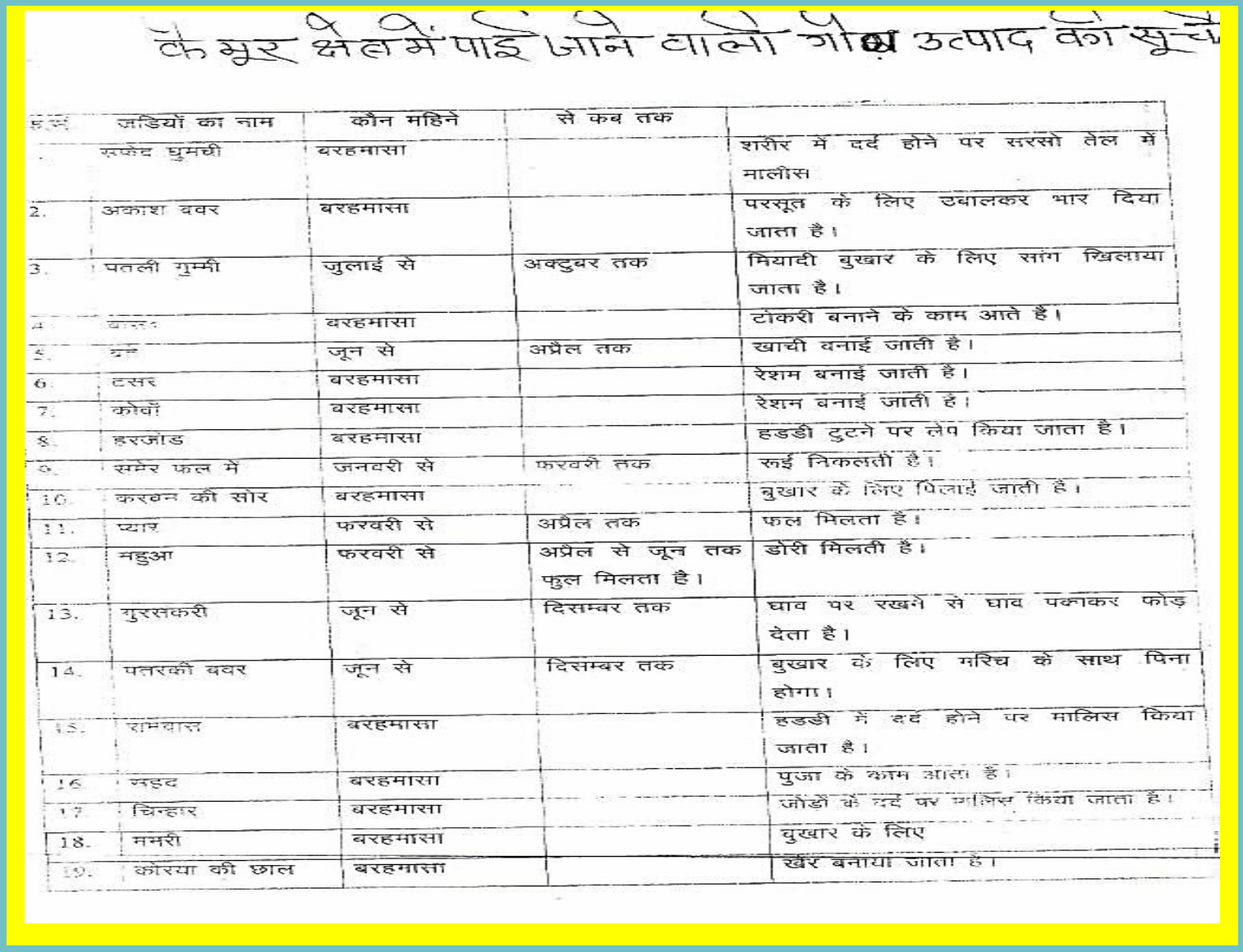

कैमूर क्षेत्र में पाई जाने वाली गौण उत्पाद की सूची

| क्र.सं. | जडियों का नाम | कौन महिने | से कब तक | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | सफेद घुमची | बरहमासा | | शरीर में दर्द होने पर सरसो तेल में मालीस |
| 2. | अकाश बवर | बरहमासा | | परसूत के लिए उबालकर भार दिया जाता है। |
| 3. | पतली गुम्मी | जुलाई से | अक्टुबर तक | मियादी बुखार के लिए सांग खिलाया जाता है। |
| 4. | [illegible] | बरहमासा | | टोकरी बनाने के काम आते हैं। |
| 5. | [illegible] | जून से | अप्रैल तक | खाची बनाई जाती है। |
| 6. | टसर | बरहमासा | | रेशम बनाई जाती है। |
| 7. | कोवों | बरहमासा | | रेशम बनाई जाती है। |
| 8. | हरजोड | बरहमासा | | हडडी टुटने पर लेप किया जाता है। |
| 9. | समेर फल में | जनवरी से | फरवरी तक | रुई निकलती है। |
| 10. | करवन की सोर | बरहमासा | | बुखार के लिए पिलाई जाती है। |
| 11. | प्यार | फरवरी से | अप्रैल तक | फल मिलता है। |
| 12. | महुआ | फरवरी से | अप्रैल से जून तक फुल मिलता है। | डोरी मिलती है। |
| 13. | गुरसकरी | जून से | दिसम्बर तक | घाव पर रखने से घाव पकाकर फोड़ देता है। |
| 14. | पतरकी बवर | जून से | दिसम्बर तक | बुखार के लिए मरिच के साथ पिना होगा। |
| 15. | रामदातन | बरहमासा | | हडडी में दर्द होने पर मालिस किया जाता है। |
| 16. | महद | बरहमासा | | पुजा के काम आता है। |
| 17. | चिन्हार | बरहमासा | | जोडों के दर्द पर मालिस किया जाता है। |
| 18. | ममरी | बरहमासा | | बुखार के लिए |
| 19. | कोरया की छाल | बरहमासा | | खैर बनाया जाता है। |

# दावेदारों की सूची और रजिस्टर में अंकित करना

# दावे की फाईल तैयार होने के बाद क्या दस्तावेज़ लगाए है उस की सूची इस प्रकार से लगाई जा सकती है

फाइल नम्बर– I बिरसा नगर ग्राम मझौली सोनभद्र

दस्तावेजों की सूची–

1. ग्राम सभा का प्रस्ताव –
2. सामुदायिक फार्म उपबन्ध–1 प्रारूप–क
3. सामुदायिक वन संसाधनों के लिये हक उपबंध–4
4. सामुदायिक वन संसाधनों के लिये दावा प्रारूप–ग
5. साक्ष्य हेतु बुजुर्गो का बयान–दावेदारों की सूची के साथ
6. दावेदारों की सूची
7. दावा किया गया वन संसाधन का नजरी नक्शा
8. वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन, अनुसूचित जनजाति, अन्य परम्परागत वन निवासी वन भूमि की परिभाषा
9. वनाधिकार कानून 2006 की संशोधित नियमावली 2012
10. कैमूर क्षेत्र में पाये जाने वाले गौण वनोत्पाद की ग्रामीण द्वारा बनायी गयी सूची
11. वन अधिकारों का विवरण, वर्किंग प्लान, 1973–74 से 1982–1983 तक
12. दावाकर्ता विभिन्न आदिवासी समूह का "गजेटियर मिर्जापुर" में उल्लेख की प्रति–1908
13. उ0प्र0 में आदिवासी समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय, उत्पीड़न, सरकारी नीतियों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा न दिया जाने का इतिहास, वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की भूमि का अवैध रूप से हस्तांतरण का इतिहास Tribal Administration in India AMIR~ HASAN, पृष्ठ नं0 –
14. कैमूर दुद्धी क्षेत्र में जनपद सोनभद्र में आदिवासियों के राज का इतिहास " गजेटियर मिर्जापुर(1908)
15. गौण वनोपज की सूचि एवं पशु, पक्षियों की सूची (कैमूर क्षेत्र)– "वर्किंग प्लान दुद्धी पोस्टर डिविजन (1964-65-1973-74)
16. जनपद सोनभद्र में धारा 20 में विज्ञप्ति भूमि एवं विज्ञाप्ति की जाने वाली भूमि का विवरण–सोनभद्र वन प्रभाग प्रबन्ध योजना (2001से 2010-2011)
17– अन्य परम्परागत समुदाय के लिये 13 दिसम्बर 2005 से तीन पीढ़ी के निवास के बारे में केन्द्रीय अनुसूचित जनजाति मंत्रालय का 9 जून 2008 का आदेश।
18– न्यायालय में वन विभाग व ग्रामीणों/दावेदारोंमें किये गये मुकदमों की प्रति–साक्ष्य के लिये।

**वनविभाग की 1973-74 तथा 1982-83 की कार्य योजना (वर्किंग प्लान ) में वनोपज के साथ बिक्री योग्य उत्पादों की अ□गसूची तैयार की गईं हैं ।**

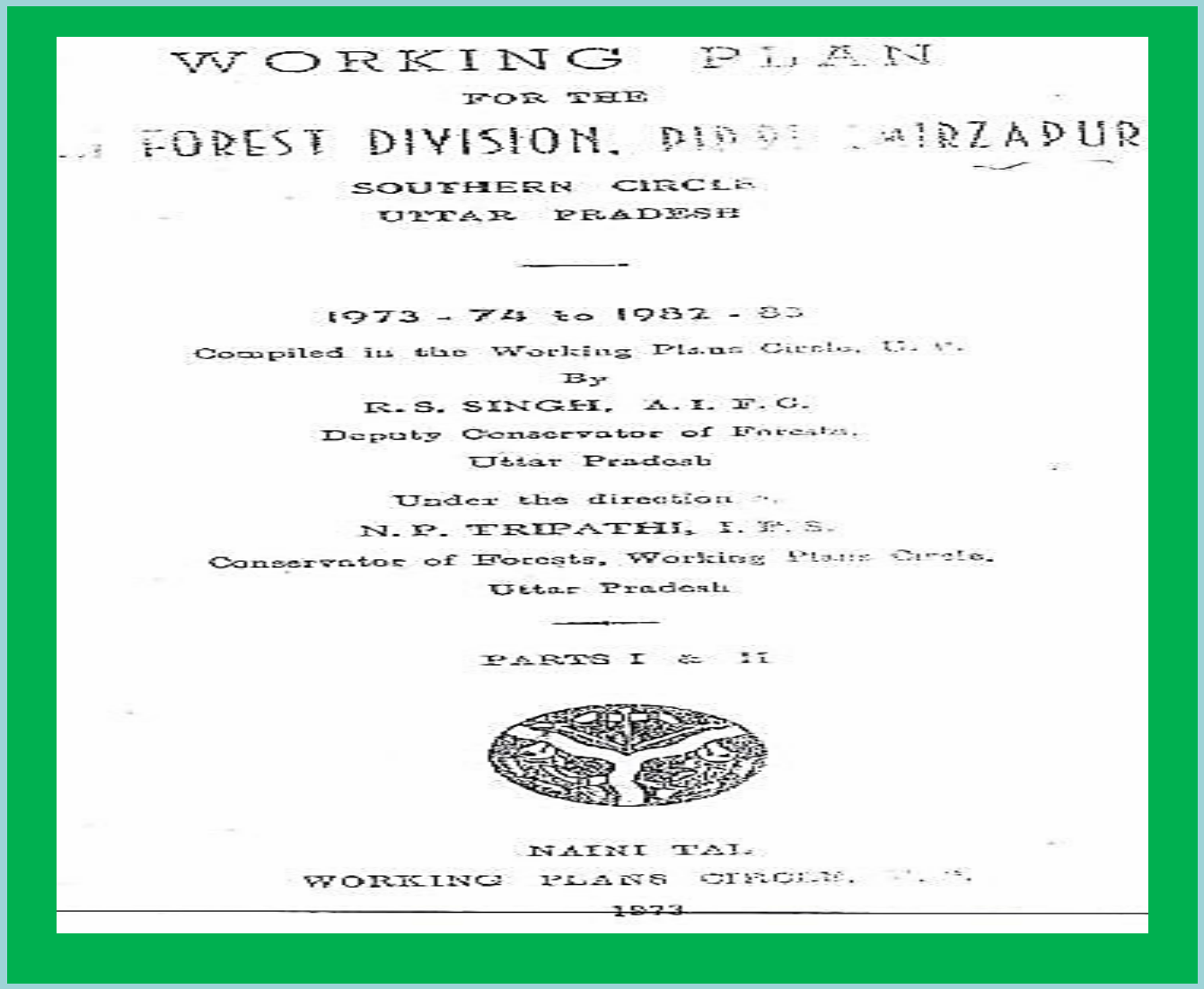



WORKING PLAN

FOR THE

FOREST DIVISION, D[illegible] MIRZAPUR

SOUTHERN CIRCLE

UTTAR PRADESH

1973 - 74 to 1982 - 83

Compiled in the Working Plans Circle, U. P.

By

R. S. SINGH, A. I. F. C.

Deputy Conservator of Forests,

Uttar Pradesh

Under the direction of

N. P. TRIPATHI, I. F. S.

Conservator of Forests, Working Plans Circle,

Uttar Pradesh

PARTS I & II

NAINI TAL

WORKING PLANS CIRCLE, U. P.

1973

# मिर्जापुर को गजेटियर – नमूना

GAZETTEER OF MIRZAPUR.

CONTENTS.


| | Page. |
|---|---|
| **Chapter I.** | |
| Boundaries and area | 1 |
| Topography | 1 |
| Hills and Geology | 5 |
| Soils | 8 |
| Rivers | 10 |
| Drainage | 15 |
| Waste lands | 16 |
| Jungles | 17 |
| Groves | 22 |
| Minerals | 22 |
| Building materials | 26 |
| Fauna | 30 |
| Cattle | 33 |
| Climate and Rainfall | 35 |
| Medical Aspects | 37 |
| **Chapter II.** | |
| Cultivated area | 41 |
| Cultivation | 44 |
| Harvests | 46 |
| Crops | 50 |
| Irrigation | 51 |
| Famines | 57 |
| Prices | 63 |
| Wages | 64 |
| Weights and measures | 66 |
| Interest | 67 |
| Manufactures | 68 |
| Trade | 76 |
| Markets | 77 |
| Fairs | 77 |
| Communications | 78 |
| **Chapter III.** | |
| Population | 85 |
| Towns and villages | 87 |
| Migration | 89 |
| Sex | 89 |
| Religions | 90 |
| Castes | 90 |
| Occupations | 115 |
| Language and Literature | 115 |
| Proprietary tenures | 116 |
| Proprietary castes and proprietors. | 129 |
| Cultivating tenures | 136 |
| Rents | 145 |
| Cultivating castes | 147 |
| Condition of the people | 147 |
| **Chapter IV.** | |
| District staff | 151 |
| Formation of the district | 154 |
| Fiscal history | 156 |
| Police | 179 |
| Crime | 180 |
| Jail | 182 |
| Reformatory school | 182 |
| Excise | 183 |
| Stamps | 186 |
| Registration | 186 |
| Post-office and telegraphs | 187 |
| Income-tax | 187 |
| Municipalities, notified areas and Act XX towns. | 188 |
| District board | 189 |
| Education | 190 |
| Dispensaries | 194 |
| Cattle-pounds | 195 |
| Nazul lands | 195 |
| **Chapter V.** | |
| History | 197 |
| Directory | 251 |
| Appendix | i—xlii |
| Index | i-v ii |


## PREFACE.

The old Gazetteer of Mirzapur was compiled by Mr. W. Grierson Jackson and edited by Mr. F. H. Fisher in 1883. There appears to have been but little available material in writing and Mr. Jackson was compelled to rely largely on his own personal enquiries for his facts. Even then accurate information, or, in some cases, information at all was often lacking. Since that time much has been written about Mirzapur, especially concerning its population and ethnography; but it is still a district about which comparatively little is known. Nearly one-third of it has never been cadastrally surveyed; and even in the more accessible tracts lying north of the Kaimurs general information is more meagre probably than in any other district of the plains. The present volume contains a large amount of matter collected from a great variety of sources, of which the list of references is by no means exhaustive; but there are many points of interest which it has been found impossible to hardly more than notice; for, although so peculiarly interesting a district offers a rich field to the antiquarian and ethnographist, it can hardly as yet be said to have been exploited. I am much indebted to Messrs. P. Wyndham and J. B. Ormrod for their ready help in supplying information and material.

NAINI TAL:
*September* 1909.

D. L. D-B.

आमिर हसनकी किताब 'ट्रा□ब□ एडमिनिस्ट्रेशन□न □ंडिया ' औपनिवेशिक मेआदिवासी (जन जातीय ) समुदाय के विकास , संवैधानिक नियम व्यवस्था , भू -राजस्व प्रबंधन , वनप्रशासन और आदिवासी प्रबंधन आदि विषयों परबखूबी प्रकाश डा□ती हैं ।

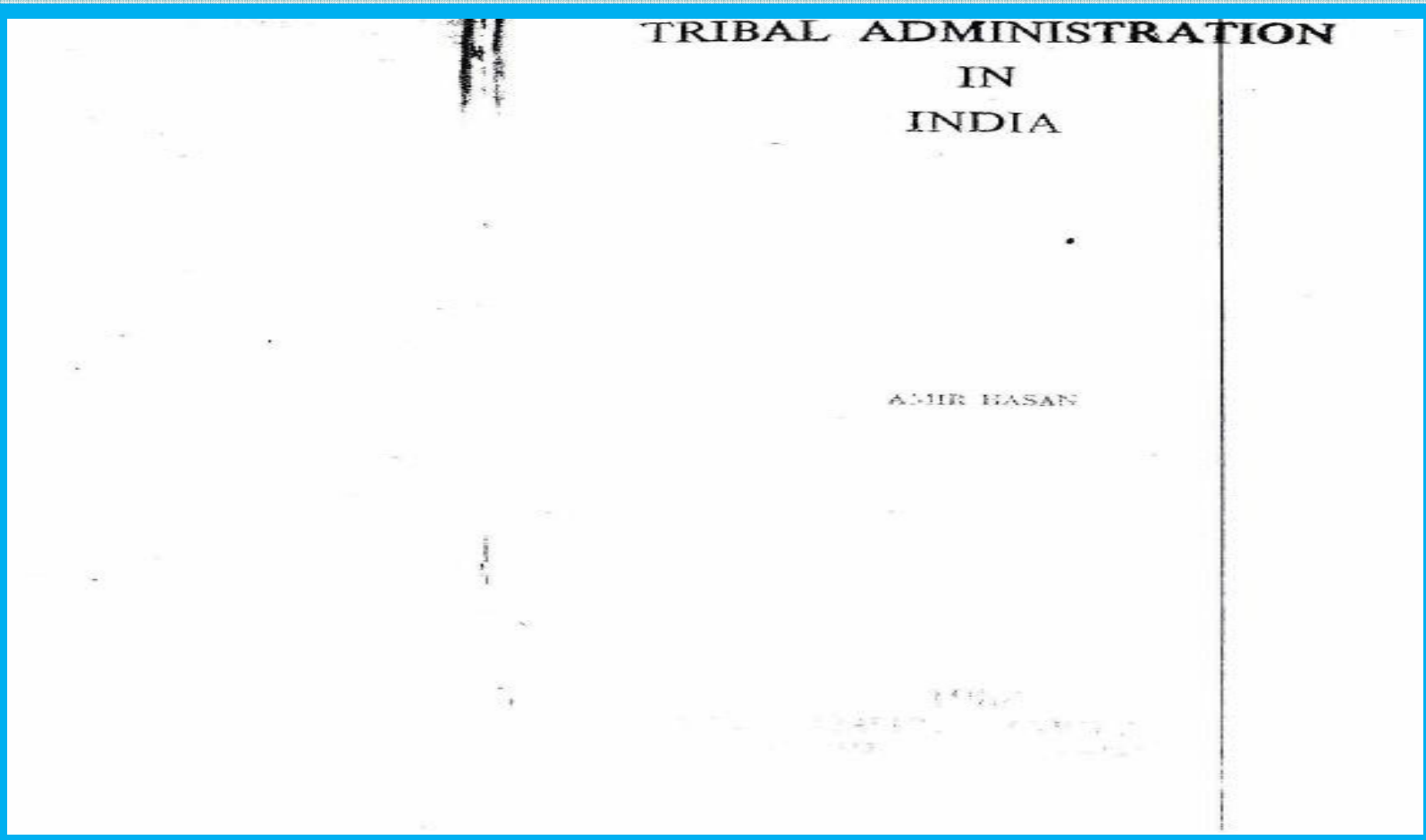

# ग्राम वनाधिकार समिति के कार्य

- ग्राम सभा एवं ग्राम वनाधिकार समिति को महीने में दो बार नहीं तो एक बार तो बैठक करनी चाहिए व विभिन्न प्रस्ताव लेने चाहिए। इसके लिए एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। जिसमें प्रस्ताव लेने के बाद सभी के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- ग्राम वनाधिकार समिति का गांव में अपना एक कार्यालय होना चाहिए जहां पर सभी दस्तावेज़ों को रखा जाए या फिर गांव में कोई वनदफतर या रेंज आफिस है वहां पर भी अपना कार्यालय खोलने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अंततः वनविभाग के तमाम संपति भी ग्राम सभा की है जिसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- ग्राम वनाधिकार समिति के सदस्यों का हर महीने प्रशिक्षण होना चाहिए तथा तीन महीने में एक बार संगठन से जुड़े तमाम वनाधिकार समितियों के अध्यक्ष व सचिवों का प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके लिए यूनियन द्वारा प्रशिक्षण।
- जो दावे किए गए है उनकी स्थिति क्या है इसका आंकलन हर महीने की बैठक में चर्चा कर प्रस्ताव पारित कर जिलाधिकारी और उपखंड़ स्तरीय समिति को नियमित रूप से हर महीने भेजा जाना चाहिए।
- कोई भी अधिकारी वो चाहे राजस्व या वनविभाग का हो जो गांव में आते हैं उनके नाम, पता व फोन न0 रजिस्टर में नोट किए जाए। वे किस मकसद से गांव में आए है उसके बारे में रजिस्टर में नोट किया जाए।
- वनविभाग का दल अगर घर गिराने, तोड़ने, फसलें उजाड़ने या फिर पौधा लगाने आदि के लिए आते हैं तो उनसे इन कार्यो के लिए ज़ारी किए गए नोटिस की मांग करनी चाहिए, दल का फोटो और ग्रामीणों का नुकसान करते हुए वीडियो बनाया जाना चाहिए। इस तरह की गैरकानूनी कार्यवाही को भी फौरन ग्राम वनाधिकार समिति के लैटरहेड पर लिख कर उपखंड़ समिति, जिलाधिकारी और राज्य निगरानी समिति को भेजा जाना चाहिए। और वनाधिकार कानून, एससीएसटी एक्ट व भारतीय दण्ड़ संहिता के तहत इन दोषी अधिकारीयों पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

# ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के लैटर हैड का नमूना

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति

ग्रामः.....तहसीलः.....जिलाः.....राज्य.....

# ग्राम सभा द्वारा वनों और वनभूमि के संरक्षण व सुरक्षा की कार्यवाही

- जहां दावे किए जा चुके हैं वहां पर ग्राम सभा के अंतर्गत जितने भी लघुवनोपज है उनपर वनविभाग, वनविनगम, ठेकेदारों व बिचौलियों की ग्राम सभा द्वारा रोक लगाई जाए और लघुवनोपज इकटठा करने का काम ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा की जाए।
- ग्राम सभा द्वारा हर वर्ष वनों में कितने पेड़ हैं उनकी गिनती और पेड़ पर ग्राम सभा की मारकिंग, कितनी जड़ी बूटीयां है व कितने वन्य प्राणी एवं पक्षी है इसकी लिस्ट तैयार की जानी चाहिए और इन तीनों के अलग अलग रजिस्टर बनाए जाने चाहिए।
- ग्राम सभा को हर तीन वर्ष के अन्दर वनों और गांव से जुड़े तमाम प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण योजना बनाई जानी चाहिए व वनों के तमाम संसाधन को बचाने और सुरक्षित रखने का प्लान तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व जाने माने विशेषज्ञ की मदद ली जा सकती है।
- वनों के अंदर वनविभाग व वनचोरों की सांठगांठ के चलते जो लकड़ी, जड़बूटीयों की चोरी व वन्य प्राणीयों की तस्करी की जा रही है उसको पूरी तरह से रोकने के लिए महिलाओं व युवाओं के दल तैयार किए जाने चाहिए जो अपने ग्राम सभा वनों की रखवाली करेगें व इन चोरों से जंगलों को बचाऐगें।

# निष्कर्ष

- साथियों इस कानून को लागू करने के लिए सबसे जरूरी यह समझना है कि यह कानून हमारा है हमारे आन्दोलन ने बनाया है और संसद ने इसको पारित किया इसलिए इसको लागू करवाने की जिम्मेदारी हमारी ही है।
- इसलिए इस कानून की जानकारी रखना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। कानून को समझने के लिए वकील बनने की जरूरत नहीं है हमें अपनी ही भाषा में कानून को समझना है ताकि जनजागरण के माध्यम से यह कानून लागू हो सके। यह कानून मौजूदा सरकारी राजनैतिक आर्थिक नीति के विपरीत है और इसके लागू करने के लिए कोई ऐसी योजना भी नहीं है जिसमें पैसों का लेन–देन हो, इसलिए सरकार, प्रशासन ओर अन्य अधिकारीगण को इस कानून को लागू करने की राजनैतिक इच्छा की कमी है। इसलिए जो भी मदद इस कानून को लागू करने के लिए चाहिए वह मदद हमें अधिकारीयों से नहीं मिल रही हे। यहां तक कि दावा फार्म भी हमें अपने माध्यम से जुटाना पड़ रहा है। तब भी हमें अपने पर भरोसा रख कर इस कानून को एक अभियान की तरह लागू करना है। तभी हमें वनविभाग की गुलामी से आज़ादी मिलेगी।
- वन आश्रित समुदायों के लिए यह सब प्रमाणिक दस्तावेज (डॉक्युमेंट्स) जुटाना कितना मुश्किल है, इस सब को जानने के बावजूद वनाश्रित समुदायों से औपनिवेशिक काल के इन दस्तावेजों की अपेक्षा की जा रही हैं। लेकिन जहां संगठन है वहां कुछ भी मुश्किल नहीं है यह दस्तावेज़ हम जुटाएगें चूंकि यह हमारे इतिहास की पहचान की भी प्रकिया है। इस कानून को लागू करने के लिए जिस क्षेत्र में भी प्रशिक्षण की जरूरत है या फिर किसी भी साथी या क्षेत्र में वनविभाग के वर्किंग प्लान, गजेटियर या अन्य कोई दस्तावेज़ की जरूरत है वह हमारे कार्यालय संपर्क कर सकते हैं।


- विकल्प : 11 मंगल नगर सहारनपुर, फोन न0 – 9358670901

# धन्यवाद